# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 1/18 दायर दिनांक 26.07.18 फैसल दिनांक 24.05.2019

श्री कालुराम पुत्र खातीया मीणा निवासी बंजारी मजरा (डोर जरा) तहसील पीपलखूंट

– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती देवली पत्नी देवाजी मीणा निवासी बंजारी मजरा (डोर जरा) तहसील पीपलखूंट
2. श्रीमती रेशमा पत्नी प्रभुलाल पुत्री बाबरू मीणा निवासी बंजारी तहसील पीपलखूंट

–अप्रार्थी

अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन निरस्त हेतु

उपस्थितः– 1– श्री गोपाल तम्बोली, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2– श्री कमल सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

## निर्णय दिनांक 24.05.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि विपक्षीया क्रमांक 1 श्रीमती देवली पत्नी देवा मीणा को उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा मिसल नं. 333/89 द्वारा ग्राम बंजारी के नये आराजी नं. 1050 में से रकबा 1.00 हैक्टर भूमि आवंटन किया गया था जो अवैध है और प्रार्थी ने गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर धोखे पूर्वक अपने नाम आवंटन कराया है जो निरस्त योग्य है। आवंटित भूमि पर प्रार्थी पिछले 35 वर्षो से काश्त करता चला आ रहा है विपक्षी क्रमांक 1 का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा है। आवंटन के पश्चात् भी विपक्षी क्रमांक 1 ने कभी इस भूमि पर काश्त नही की है न प्रार्थी के काश्त करने पर एतराज किया। प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार है और इस भूमि का विकास करने में उसने काफी परिश्रम किया है और धन खर्च किया है। यह कि वक्त आवंटन विपक्षी नं. 1 के पति के नाम पर पहले से ही 3.27 हैक्टर भूमि दर्ज थी जिसमें सिंचित भूमि भी हैं। इस कारण वह आवंटन की पात्र नही थी क्योंकि वह भूमिहीन कृषक की परिभाषा में नही आती थी। विपक्षी नं. 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में कही भी नही लिखा कि वह परित्यक्ता है। उसने राजस्व कर्मचारी पटवारी से मिलकर वक्त आवंटन यह रिपोर्ट करवाली कि वह पति से अलग रहती है और कपटपूर्वक आवंटन करवा लिया। केवल मात्र पति से अलग रहने के आधार पर विपक्षी नं. 1 को यह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

भूमि आवंटन नही किया जा सकता था। क्योंकि उसके पति के नाम पर पहले से 3.27 हैक्टर भूमि दर्ज रेकार्ड थी। विपक्षी नं. 1 ने मौके पर कभी कब्जा नही किया है ना काश्त की है व कागजों में उसने यह भूमि विपक्षीया नं. 2 को बेचान कर दी है। अतः उसे भी पक्षकार के रूप में विपक्षी नं. 2 बनाया गया है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षी क्रमांक 1 को मिसल नं. 333/89 द्वारा दिनांक 22.05.1989 को आवंटित ग्राम बंजारी तहसील पीपलखूंट की आराजी नं. 1050 में से रकबा 1.00 हैक्टर कृषि भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब 16.10.2018 नियत की गई। नियत दिनांक को अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता प्रार्थी को उपलब्ध कराई जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 31.10.2018 मुकर्रर की गई। कई बार अवसर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 13.03.2019 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीया ने गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर धोखे द्वारा अपने पक्ष में आवंटन कराया है जो निरस्त करने योग्य है। प्रार्थी के खिलाफ नाजायज कब्जे की कार्यवाही धारा 91 भूमि राजस्व अधिनियम के तहत हुई है जिसके नोटिस प्रार्थी ने पेश किये है। प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में बताया कि विपक्षी नं. 1 के देवली के पति के नाम पर उक्त आवंटन 3.27 हैक्टर भूमि दर्ज थी इस कारण विपक्षीया क्रमांक 1 भूमिहीन नही होने से आवंटन की पात्र नही थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी लिखित बहस में बताया कि विपक्षीया ने यह कहा कि उसके पति ने उसको छोड रखी थी लेकिन उसके द्वारा कोई सबूत पेश नही किया गया है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीया को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि श्रीमती देवली पत्नि देवा के नाम पूर्व में कोई भूमि आवंटित नही हुई है एवं करीब 30–35 वर्ष पूर्व से ही अपने पति से अलग रह रही है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रकरण के साथ प्रस्तुत नही किया है जिससे कि पता लगाया जा सके कि देवली अपने पति के साथ ही रह रही है एवं उक्त भूमि आवंटन के पश्चात से ही देवली का कब्जा रहा है तथा देवली द्वारा उक्त भूमि को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण रेशमा को उक्त भूमि विक्रय की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) खारीज फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की लिखित बहस का अध्ययन किया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस को ध्यान से सुना एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचन की रोशनी में ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार यह है कि आवंटन के समय आवंटी के पति के नाम 3.57 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड थी। अतः वह भूमिहीन नही थी जबकि नियमानुसार भूमिहीन व्यक्ति को ही आवंटन किया जाना चाहिए।

अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती देवली द्वारा प्रस्तुत दिनांक 22.05.1989 के आवंटन प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन पटवारी द्वारा टिप्पणी अंकित की गई कि प्रार्थिया अपने पति से अलग रहती है। प्रार्थी ने इस तथ्य का खण्डन तो किया है लेकिन उसने इसके कोई प्रमाण पेश नही किए कि आवंटन की तिथि को वह अपने पति से अलग नही रहती थी अपितु उसके साथ ही रहती थी। विपरीत तथ्य को सिद्व करने वाले प्रमाण के बिना पटवारी की रिपोर्ट को गलत नही ठहराया जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन से सिद्व है कि भूमि आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती देवली अपने पति से अलग रहने के कारण भूमिहीन ही थी अतः उसके पक्ष में किया गया आवंटन नियमानूकूल था। प्रार्थी की दूसरी आपत्ति यह है कि अप्रार्थिया का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है और उसने काश्त नहीं की है। यह आपत्ति मान्य नहीं है क्योंकि कब्जा काश्त नहीं होता तो अप्रार्थिया संख्या 1 को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते थे। खातेदारी अधिकार प्राप्त होना यह सिद्व करता है कि आवंटित भूमि पर उसका कब्जा काश्त था। प्रार्थी ने आराजी नम्बर 1050 की 0.10 हैक्टर भूमि पर अपना कब्जा होने का कथन किया है। प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि बिलानाम भूमि है जबकि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थिया संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। अतः प्रस्तुत प्रकरण पर इस तथ्य का कोई प्रभाव नही पड़ता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 को अस्वीकार किया जाकर आवंटन मिसल संख्या 333/89 दिनांक 25.05.89 द्वारा आवंटी (अप्रार्थीगण) को मौजा बंजारी की आराजी संख्या 1050 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि का आवंटन यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2019.11.29 15:47:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: